न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—44 / 2024 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. महेन्द्रसिंह पिता शिवसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवीस आसीन्द हाल मुकाम कारोईखुर्द, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थी

बनाम

1. गोविन्दसिंह पिता शिवसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवीस आसीन्द हाल मुकाम कारोईखुर्द, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. कुमोदकंवर पत्नी स्व0 शिवसिंह जी राजपूत उम्र वयस्क निवीस आसीन्द हाल मुकाम कारोईखुर्द, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा

— विपक्षीगण

वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट

उपस्थित अधिवक्तागण —

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री भैरूलाल बाफना
2. विपक्षीगण अधिवक्ता श्री उदयसिंह दरोगा

निर्णय दिनांक 7/8/25

प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.10.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया जो बाद जांच प्रकरण संख्या 44 / 2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी की वास्ते तलबी नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.10.2024 को विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः—

ग्राम कारोई खुर्द पटवार हल्का कारोई खुर्द तह0 एवं जिला भीलवाड़ा के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खातेदारी अधिकार आधिपत्य में दर्ज रेकार्ड है जो निम्न प्रकार हैः—

(क)खाता संख्या 11	रकबा
आराजी संख्या	
81,	2.0232 हैक्टयर
81 / 1,	0.0253 हैक्टयर
82,	0.2908 हैक्टयर
83,	0.0253 हैक्टयर
84	0.2023 हैक्टयर
कुल किता 05	कुल रकबा 0.5311 हैक्टयर

उक्त आराजियात में प्रार्थी का 1 / 3 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 1 / 3—1 / 3 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है और इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 व 02 उक्त आराजियात पर काबिज है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
19/8/25

इसी प्रकार ग्राम कारोईकलां पटवार हल्का कारोईकलां तह0 एवं जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार आधिपत्य की निम्नलिखित आराजियात स्थित है:–

(ख) खाता संख्या 266

आराजी संख्या	रकबा
2417	0.3414 हैक्टयर

(ग) खाता संख्या 267

आराजी संख्या	रकबा
2413	0.2403

उक्त आराजियात में भी प्रार्थी का 1/3 हिस्सा एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 का प्रत्येक का 1/3–1/3 हक हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज है और इसी हिस्से अनुसार प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 व 02 उक्त आराजियात पर काबिज है।

वादग्रस्त खाता संख्या 11, 266, 267 में अंकित आराजियात प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 व 02 के संयुक्त खाते में रहने से इस भूमि में फसल काश्त करने और राजस्व लगान जमा कराने में एवं भूमि को विकसित करने में भारी कठिनाई आती है। इसके साथ ही विपक्षी संख्या 01 व उसके परिवार वाले व उसके सिजारी व अन्य प्रतिनिधि मुझ प्रार्थी को उक्त आराजियात में मेरे हक हिस्से व अन्य प्रतिनिधि मुझ प्रार्थी को उक्त आराजियात में मेरे हक हिस्से व कब्जे की भूमि में काश्त करने में मुझे भारी अड़चन पैदा कर रहे है। वे आये दिन मेरे कब्जे की भूमि की छड़िया की बाड़ को जगह–जगह से हटा देते है व पत्थरों की दीवार को भी कुछ जगह गिराकर जबरन क्षति पहुंचाते है। मुझ प्रार्थी ने मेरे हक हिस्से की भूमि में आंवले के पेड़ लगा रखे है और कपास की फसल की सिंचाई हेतु ड्रिप सिस्टम लगा रखा है जिसे भी विपक्षी सं. 1 व उसके साथ लग रहे असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है जिससे मुझे काफी नुकसान हुआ है। विपक्षी सं. 1 व उसके प्रतिनिधि हरदम लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा रहते हैं और धमकी देते हैं कि हम औरतों को आगे करके तुम्हारे विरूद्ध बलात्कार का झूठा मुकदमा लगा देंगे और तुम्हें जेल में बंद करा देंगे। विपक्षी सं. 1 व उसके उक्त प्रतिनिधियों की धमकियों से मुझ प्रार्थी को छिप–छिप कर मेरी उक्त भूमि पर जाना पड़ रहा है जिससे मुझे काफी क्षति हो रही है और मैं मेरे हिस्से की उक्त भूमि में अपनी फसलों की पूरी तरह से सार संभाल नहीं कर पा रहा हूँ । इस कारण से उक्त शामलाती खातों की भूमियों का मीट्स एण्ड बाऊण्ड्स से विभाजन कराया जाकर मुझ प्रार्थी के 1/3 हक हिस्से की आराजियात को मुझ प्रार्थी के नाम पर अलग खाते में दर्ज कराया जाना आवश्यक है ताकि मैं प्रार्थी अपने हिस्से में आने वाली भूमि का समुचित विकास कर सकूं। इस बाबत् विभाजन आराजियात की डिक्री बहक प्रार्थी पारित किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी एवं विपक्षीगण सं. 1 व 2 के मध्य उक्त आराजियात का विभाजन नहीं हुआ है और प्रार्थी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है किन्तु विपक्षी सं. 1 बलशाली व्यक्ति हैं और उसने असामाजिक गुण्डा तत्वों से सांठ गांठ कर रखी है और वह धमकी दे रहा है कि हम किन्ही गुण्डा व असामाजिक तत्वों को जमीन बेचकर यहां खड़ा कर देंगे जिससे वे और हम मिलकर तुमको तुम्हारे हिस्से की भूमि में काश्त नहीं करने देंगे व तुमको बेदखल कर देंगे और तुम्हारे हिस्से की भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेंगे व तुम्हारे कब्जेशुदा भूमि को अपनी होना बताकर अपनी मनमर्जी माफिक खुर्द–बुर्द अंतरित भारित एवं विक्रय कर देंगे । विपक्षी सं. 2 हमारी माताजी है जो काफी वृद्ध महिला है और वृद्धावस्था के कारण उनको अच्छे बुरे का पूरा भान नहीं रहता है। उनके हिस्से की भूमि को भी विपक्षी सं. 1 व उसके परिवार वाले नाजायज तौर से हड़पना चाहते हैं और उनकी वृद्धावस्था व उनको अच्छे बुरे का पूरा भान नहीं होने का नाजायज लाभ उठाने की नीयत से उनको झांसे में रखकर या बहका फुसलाकर उनसे उनके हिस्से की भूमि के अंतरण का कोई भी दस्तावेज अपने पक्ष में पंजीकृत कराने पर उतारू हैं जिससे विपक्षी सं 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद व प्रतिबंधित कराया जाना आवश्यक है कि वे प्रार्थनापत्र की धारा सं. 1 (क) में अंकित खाता सं. 11 में वर्णित शामलाती आराजियात 81, 81/1. 82, 83, 84 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5669 हैक्टेयर वाके ग्राम कारोईखुर्द तथा प्रार्थनापत्र की धारा सं. 1 (ख)

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
13/8/25

व (ग) में वर्णित शामलाती आराजी नं. 2417 रकबा 0.3414 हैक्टेयर व आराजी नं. 2413 रकबा 0.2403 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कारोईकलां को विधिवत विभाजन से पूर्व किसी भी तरह से खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित नहीं करे तथा इस भूमि से प्रार्थी को न तो स्वयं बेदखल करे न अन्य से करावे एवं प्रार्थी के उक्त भूमि में शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। विपक्षी सं 3 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि इस वाद के निर्णय तक वह उक्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में कोई भी परिवर्तन नहीं करे ।

प्रार्थी ने उक्त अनवान व तथ्यों का एक वादपत्र न्यायालय आप में पेश कर दिया है जो ठोस कानूनी तथ्यों पर आधारित होने से अवश्य डिक्री होगा ।

प्रार्थी का प्रथमदृष्टया मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अगर ताफैसला वाद विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश से पाबंद व प्रतिबंधित नहीं किया गया तो वे उक्त वादग्रस्त अविभाजित आराजियात का अपनी मनमर्जी माफिक अंतरण कर देंगे और उक्त आराजियात में प्रार्थी के कब्जेकाश्त में हस्तक्षेप कर प्रार्थी को बेदखल कर देंगे जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी एवं प्रार्थी का यह वाद पेश करना ही व्यर्थ हो जायेगा और पक्षकारान् के मध्य अनेक प्रकार की मुकदमेंबाजी बढ़ जायेगी ।

अतः प्रार्थना है कि यह प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर ताफैसला वाद विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे प्रार्थनापत्र की धारा सं. 1 (क) में अंकित खाता सं. 11 में वर्णित शामलाती आराजियात 81, 81/1, 82, 83, 84 किता 5 रकबा 2.5669 हैक्टेयर वाके ग्राम कारोईखुर्द तथा प्रार्थनापत्र की धारा सं. 1 (ख) व (ग) में वर्णित शामलाती आराजी नं. 2417 रकबा 0.3414 हैक्टेयर व आराजी नं. 2413 रकबा 0.2403 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम कारोईकलां को विधिवत विभाजन से पूर्व किसी भी तरह से खुर्द–बुर्द अन्तरित व भारित नहीं करे तथा इस भूमि से प्रार्थी को न तो स्वयं बेदखल करे न अन्य से करावे एवं प्रार्थी के उक्त भूमि में शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। विपक्षी सं 3 को भी स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि इस वाद के निर्णय तक वे उक्त आराजियात के राजस्व अभिलेख में कोई भी परिवर्तन नहीं करे ।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से मूल वाद में अधिवक्ता श्री उदय सिंह दरोगा का वकालतनामा दिनांक 11.02.2025 को पेश किया गया। मूल पत्रावली में प्रार्थी श्री शंकर सिंह की ओर से आदेश 01 नियम 10 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र दिनांक 21.04.2025 को पेश किया गया, जो उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनकर दिनांक 08.05.2025 को खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी संख्या 03 के सम्मन बाद तामिल दिनांक 05.06.2025 को प्राप्त हुए।

दिनांक 05.06.2025 को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की ओर से निम्न जवाब सादर पेश है कि :–

वादग्रस्त आराजियात ग्राम कारोईकलां एवं कारोई खुर्द में स्थित होना स्वीकार है। लेकिन उक्त आराजियात मे प्रार्थी का 1/3 एवं विपक्षी संख्या 01 एवं 02 का 1/3, 1/3 हक हिस्से अनुसार काबिज नही है, उक्त आराजियात में 1/2 हक हिस्सा जो कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 के पिता व विपक्षी संख्या 02 के पति शिव सिंह के भाई शंकर सिंह का व 1/2 हक हिस्से में से 1/3 हक हिस्सा यानि 1/6 हक हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 में से 1/3 हक हिस्सा यानि 1/6 हक हिस्सा विपक्षी संख्या 01 का व 1/2 में से 1/3 हक हिस्सा यानि 1/6 हक हिस्सा विपक्षी संख्या 02 का होकर इसी हक हिस्से अनुसार मोके पर काबिज है।

उक्त आराजियात केवल मात्र राजस्व रेकार्ड मे शामलाती दर्ज है, प्रार्थी के अभिवचनो के अनुसार भी मौके पर पत्थरो की दीवार हो रखी है, मौके पर वर्षों पूर्व ही प्रार्थी, विपक्षी संख्या 01 एवं 02 व शंकर सिंह के मध्य हक हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन हो मौके पर चारदीवारी आदि हो रखी है, जिससे प्रार्थी किसी प्रकार से मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है।

सहायक कलक्टर

1/8/25

जब पूर्व मे ही बटवाड़ा हो रखा है तो पुनः विभाजन कराने का अधिकारी नही है, प्रार्थी जो कि अपने पिता के भाई शंकर सिंह के हक हिस्से की भूमि उनके नाम पर नही करा, उनके हक हिस्से की भूमि को हड़पने की नियत से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है। प्रार्थी किसी प्राकर से कोई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज होने योग्य है।

वादी ने गलत तथ्यो के आधार पर वादपत्र पेश किया है, जो अवश्यमेव खारीज होगा, वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है व न ही सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है, बल्कि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु विपक्षीगण जवाबदाता के पक्ष मे है। प्रार्थी किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है।

प्रार्थी ने जो शपथपत्र पेश किया है. वो झूठा पेश किया है। खण्डन मे विपक्षी जवाबदाता का शपथपत्र पेश है।

प्रार्थी किसी प्रकार से आराजियात का विभाजन कराने व स्थायी निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज होने योग्य है।

अतिरिक्त कथन

वादग्रस्त आराजियात जो कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के पिता व पति शिव सिंह व उनके भाई शंकर सिंह की संयुक्त शामलाती व संयुक्त हिन्दु परिवार की संयुक्त आय से अर्जित भूमि है, प्रार्थी द्वारा तथ्य छुपाकर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, उक्त भूमि जो कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 के दादा व विपक्षी संख्या 02 के श्वसुर भंवर सिंह चुण्डावत पुत्र श्री सगत सिंह जी चुण्डावत निवासी–आसीन्द जो कि सरकारी नौकरी मे होने से विवादित आराजियात पर उनका कब्जा होते हुए भी प्रार्थी के पिता शिव सिंह के नाम पर आंवटन करायी गयी, जिसमे शंकर सिंह व शिव सिंह दोनो भाईयो का 1/2. 1/2 हक हिस्से काबिज कराया गया व 1/2 हक हिस्सा शंकर सिंह का माना गया, जिस बाबत लिखापढी भी दिनांक 01/08/1989 को भंवर सिंह जी द्वारा की गयी व प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 के पिता व विपक्षी संख्या 02 जवाबदाता के पति शिव सिंह द्वारा भी दिनांक 13/01/1984 को 5/– रूपये के स्टाम्प पर लिखकर बटवाड़ा कर भी दिया गया है। उक्त भूमि पर 1/2 हक हिस्सा शंकर सिंह का होकर प्रार्थी द्वारा जानबूझकर उसको पक्षकार बनाये बिना व उसका हक हिस्सा उल्लेख किये बिना तथ्य छुपाकर उक्त 'प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो पक्षकारो के असंयोजन से प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

वादग्रस्त आराजियात जो कि बैंक के रहन भी है, बैंक को भी पक्षकार नही बनाया गया व पक्षकारो का असंयोजन कर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है।

वादग्रस्त आराजियात मे प्रार्थी का 1/3 एवं विपक्षी संख्या 01 एवं 02 का 1/3, 1/3 हक हिस्से अनुसार काबिज नही है, उक्त आराजियात मे 1/2 हक हिस्सा जो कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 के पिता व विपक्षी संख्या 02 के पति शिव सिंह के भाई शंकर सिंह का व 1/2 हक हिस्से में से 1/3 हक हिस्सा यानि 1/6 हक हिस्सा प्रार्थी का व 1/2 में से 1/3 हक हिस्सा यानि 1/6 हक हिस्सा विपक्षी संख्या 01 का व 1/2 में से 1/3 हक हिस्सा यानि 1/6 हक हिस्सा विपक्षी संख्या 02 का होकर इसी हक हिस्से अनुसार मोके पर काबिज है। उक्त आराजियात केवल मात्र राजस्व रेकार्ड मे शामलाती दर्ज है प्रार्थी के अभिवचनो के अनुसार भी मौके पर पत्थरो की दीवार हो रखी है, मौके पर वर्षों पूर्व ही प्रार्थी, विपक्षी संख्या 01 एवं 02 व शंकर सिंह के मध्य हक हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन हो मौके पर चारदीवारी आदि हो रखी है, जिससे प्रार्थी किसी प्रकार से मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स के आधार पर विभाजन कराने का अधिकारी नही है। प्रार्थनापत्र खारीज होने योग्य है।

जब पूर्व में ही बटवाड़ा हो रखा है तो पुनः विभाजन् कराने का अधिकारी नहीं है, प्रार्थी जो कि अपने पिता के भाई शंकर सिंह के हक हिस्से की भूमि उनके नाम पर नही करा, उनके हक हिस्से की भूमि को हड़पने की नियत से उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है, जो खारीज होने योग्य है। प्रार्थी किसी प्रकार से कोई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज होने योग्य है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
13/8/25

वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है व न ही सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में नही है, अतिरिक्त प्रथम दृष्टया मामला सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु विपक्षीगण जवाबदाता के पक्ष में है। वादी प्रार्थी किसी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी को विपक्षीगण जवाबदाता के विरूद्ध कोई बिनाय वाद पैदा नही हुआ है, बिना बिनायवाद के प्रार्थनापत्र पोषणीय नही होने से खारीज होने योग्य है।

प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 03 के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, लेकिन वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 जा०दी० के तहत 02 माह की समयावधि का नोटिस नही दिया है, जिसके अभाव मे प्रार्थनापत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज होने योग्य है।

जवाब की ताईद मे विपक्षी जवाबदाता का शपथपत्र पेश है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि विपक्षी जवाबदाता का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र सारहीन होने से खारीज फरमाया जावें।

प्रकरण में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा नजीर निगरानी/ 92/95/टी0ए0/उदयपुर नेणा व अन्य बनाम राधाकिशन व अन्य पेश कि गई।

उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। प्रकरण का अंतिम निस्तारण किये जाने हेतु निम्नांकित तीन बिन्दुओं का निर्णय किया जाना आवश्यक है–

1. प्रथम दृष्टया मामला–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कारोईखुर्द के खाता सं. 11 में वर्णित शामलाती आराजियात 81, 81/1. 82, 83, 84 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5669 हैक्टेयर, खाता संख्या 266 की आराजी संख्या 2417 रकबा 0.3414 हैक्टयर एवं खाता संख्या 267 की आराजी संख्या 2413 रकबा 0.2403 हैक्टेयर भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की शामलाती कृषि भूमि है। चुंकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि है अतः प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला प्रमाणित होता है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में शामलाती दर्ज है, प्रार्थी के अभिवचना अनुसार भी मौके पर पत्थरों की दीवारम्हो रखी है, मौके पर वर्षों पूर्व ही प्रार्थी, विपक्षी संख्या 01 एवं 02 व शंकर सिंह के मध्य हक हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन हो मौके पर चारदीवारी आदि हो रखी है, जिससे प्रार्थी किसी प्रकार से मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजियात केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में शामलाती दर्ज है, मौके पर पत्थरों की दीवार हो रखी है, मौके पर वर्षों पूर्व ही प्रार्थी, विपक्षी संख्या 01 एवं 02 व शंकर सिंह के मध्य हक हिस्से व कब्जे अनुसार विभाजन हो मौके पर चारदीवारी आदि हो रखी है, जिससे प्रार्थी किसी प्रकार से मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कराने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थी अपने पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू साबित करने में प्रथम दृष्टया असफल रहा है।

2. सुविधा का संतुलन–

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि होने से अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 के विरूद्ध सुविधा का संतुलन प्रमाणित होने की स्थिति से अवगत करवाया गया। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में केवल मात्र राजस्व रेकार्ड में शामलाती दर्ज है, अतः प्रार्थी का कोई सुविधा का संतुलन मामला नहीं बनता है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा
19/8/25

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि होने से प्रार्थी सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रथम दृष्टया अपने पक्ष में प्रमाणित करने में असफल रहा है।

3. अपूरणीय क्षति—

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के मध्य वादग्रस्त आराजियात का विभाजन नहीं हुआ है और प्रार्थी अपने हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा है, किन्तु विपक्षी संख्या 01 बलशाली व्यक्ति है और उसने असामाजिक गुण्डा तत्वों से सांठ—गांठ कर रखी है और वह धमकी दे रहा है कि हम किन्ही गुण्डा व असामाजिक तत्वों को जमीन बेचकर तुमको तुम्हारे हिस्से की भूमि में काश्त नहीं करने देंगे व तुमको बेदखल कर देगें और तुम्हारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर लेंगे व तुम्हारे कब्जेशुदा भूमि को अपनी होना बताकर अपनी मनमर्जी माफिक खुर्द—बुद, अंतरित भारित एवं विक्रय कर देंगे। अतः विपक्षी संख्या 01 एवं 02 को वादग्रस्त भूमि के संबंध में पाबंद्ध कराया जावे कि वे वादग्रस्त भूमि का विधिवत विभाजन से पूर्व किसी भी तरह से खुर्द—बुर्द अन्तरित व भारित नहीं करे तथा इस भूमि से प्रार्थी को न तो स्वयं बेदखल करे न अन्य से करावे, क्योंकि यदि विपक्षी संख्या 01 एवं 02 ऐसा करते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी भरपाई किया जाना संभव नहीं होगा। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश किया है जो अवश्यमेव खारिज होगा, वादी का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं है व न ही सुविधा संतुलन वादी के पक्ष में है, बल्कि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु विपक्षीगण जवाबदाता के पक्ष में है। अतः अपूरणीय क्षति को बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के पक्ष में साबित होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कारोईखुर्द के खाता सं. 11 में वर्णित शामलाती आराजियात 81, 81/1. 82, 83, 84 कुल किता 5 कुल रकबा 2.5669 हैक्टेयर, ग्राम कारोईकलां के खाता संख्या 266 की आराजी संख्या 2417 रकबा 0.3414 हैक्टयर एवं खाता संख्या 267 की आराजी संख्या 2413 रकबा 0.2403 हैक्टेयर भूमि का प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में सहखातेदार दर्ज है। वादग्रस्त भूमि का प्रार्थी के अभिवचनों के अनुसार मौके पर सहमतिपूर्वक पूर्व में ही विभाजन होकर प्रार्थी व अप्रार्थी का पृथक—पृथक कब्जा काश्त है। अतएवं

—: आदेश :—

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है और प्रार्थी के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.10.2024 प्रत्याहरित की जाती है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

19/8/25

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा